

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 07.09.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 07.09.2022 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
4.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
5.	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
7.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
8.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
9.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
11.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
12.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
13.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० डी.एन. सिंह
2. प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अम्बेडकर नगर, मऊ मध्य प्रदेश के मध्य मसौदे पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अम्बेडकर नगर, मऊ मध्य प्रदेश के मध्य प्रस्तावित मसौदे का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 03 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और KMUTT, बैंकॉक के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे पर हस्ताक्षर विषयक।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और KMUTT, बैंकॉक के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04 अध्ययन मण्डल फॉरेंसिक साइंस विभाग की बैठक दिनांक 21.03.2022 में अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल फॉरेंसिक साइंस विभाग की बैठक दिनांक 21.03.2022 में अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय ।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे ।

विषय क्र. 05 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 23.08.2022 की अनुशंसाओं पर विचार करना ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 23.08.2022 की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय ।

विषय क्र. 06 शैक्षणिक कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में नियुक्त किये गये अस्थायी शिक्षकों की सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में नियुक्त किये गये अस्थायी शिक्षकों को दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 तक सेवा अवधि में वृद्धि प्रदान की जाय ।

विषय क्र. 07 डॉ० अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सिलेंस के सुचारु संचालन हेतु अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हता एवं विज्ञापन के अनुमोदन के संबंध में ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में अर्हता संबंधी कॉलम में विषयों का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय ।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विज्ञापन के प्रारूप पर अधिष्ठातागण दिनांक 08.09.2022 को बैठक कर चर्चा कर लें-एवं विज्ञापन की शर्तों में आवश्यक सुधार एवं संशोधन कर लें ।


स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं से प्राप्त विज्ञापन प्रारूप का विधिक आंकलन करा लिया जाय एवं तदोपरान्त विज्ञापन जारी किया जाय ।

विषय क्र. 08 VRET 2022-23 के प्रवेश सूचना प्रारूप पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को वर्तमान में स्थगित रखा जाय ।

अधिष्ठाताओं के द्वारा शोध विनियम में पुनर्विचारोपरान्त प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर शोध विनियम में संशोधनोपरान्त विज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत किया जाय ।


07/09/22



07/08/2022

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के मध्यम समझौता प्रस्ताव के संबंध में विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के मध्यम समझौता प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।⁴


कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव


कुलपति / अध्यक्ष